LEGISLATIVE ASSEMBLY
NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

Bulletin Part-I

(Brief summary of proceedings)

Thursday, 29 February 2024 / 10 Phalgun 1945 (*Saka*)

No. 61
11.18 A.M.

Sh. Ram Niwas Goel, Hon'ble Speaker in-Chair

1. 11.18 A.M. **Shri Sanjeev Jha, Hon'ble Member** drew the attention of the House towards the D.O. letter dated 28/02/2024 of Hon'ble Lt. Governor wherein it has been advised to expunge the line (*'the BJP exercises direct control over the Hon'ble LG')* in the text of Resolution moved by Shri Rajendra Pal Gautam, Hon'ble Member in the House on 19/02/2024.
   He also moved a Censure Motion in this regard.
   The following Members also expressed their views :
   1. Shri Rajendra Pal Gautam
   2. Shri Madan Lal
   3. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition
   4. Shri Saurabh Bharadwaj, Hon'ble Minister of Water

   The Motion was put to vote and adopted by voice-vote.

2. 12.07 P.M. **Special Mention (Rule-280) :**
   The following Members raised matters under Rule-280 with permission of the Chair :
   1. Shri Mohinder Goyal
   2. Shri Parlad Singh Sawhney
   3. Shri Naresh Yadav
   4. Shri Ajay Dutt
   5. Smt. Pramila Dhiraj Tokas
   6. Shri Rajendra Pal Gautam
   7. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition
   8. Shri Som Dutt
   9. Shri Pawan Sharma

3. 12.31 P.M. **Calling Attention (Rule-54) :**
   Shri Jarnail Singh, Hon'ble Member called the attention of the House towards *"Disengagement of Marshals deployed in the Buses of Delhi Transport Corporation by Hon'ble Lieutenant Governor"*.
   Shri Dilip Kumar Pandey, Hon'ble Chief Whip moved a Resolution with the leave of the House (Text of Resolution enclosed).
   The following Members expressed their views :
   1. Shri Ajay Dutt
   2. Shri Rajesh Rishi
   3. Smt. Pramila Dhiraj Taokas
   4. Shri Ramvir Singh Bidhuri, Hon'ble Leader of Opposition

   Shri Kailash Gahlot, Hon'ble Minister of Transport also expressed his views.
   Shri Arvind Kejriwal, Hon'ble Chief Minister replied to the discussion.
   The Resolution was put to vote and adopted by voice-vote.

4. 01.31 P.M. **The Chair adjourned the House upto 11.00 A.M. on Friday, 01 March 2024.**

Delhi — **Raj Kumar**
29 February, 2024 — **Secretary**

विधान सभा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
समाचार भाग–1
(कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख)
वीरवार, 29 फरवरी, 2024/फाल्गुन 10, 1945 (शक)

संख्या–61

11.18 बजे **श्री रामनिवास गोयल, माननीय अध्यक्ष पीठासीन हुए।**

1. 11.18 बजे **श्री संजीव झा, माननीय सदस्य** ने सदन का ध्यान माननीय उप राज्यपाल के दिनांक 28.02.2024 के डी.ओ. पत्र की ओर आकर्षित किया जिसमें श्री राजेंद्र पाल गौतम, माननीय सदस्य द्वारा दिनांक 19.02.2024 को प्रस्तुत संकल्प के पाठ से पंक्ति *(भाजपा माननीय उपराज्यपाल पर सीधा नियंत्रण रखती है)* को हटाने की सलाह दी गई है।
उन्होंने इस संबंध में निंदा प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया।
निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने विचार व्यक्त किये :–
   1. श्री राजेंद्र पाल गौतम
   2. श्री मदन लाल
   3. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष
   4. श्री सौरभ भारद्वाज, माननीय जल मंत्री

प्रस्ताव मतदान के लिए रखा गया तथा ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

2. 12.07 बजे **विशेष उल्लेख (नियम–280) :**
निम्नलिखित सदस्यों ने अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम–280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये :–

1	श्री महेंद्र गोयल	6	श्री राजेंद्र पाल गौतम
2	श्री प्रलाद सिंह साहनी	7	श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष
3	श्री नरेश यादव		
4	श्री अजय दत्त	8	श्री सोम दत्त
5	श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस	9	श्री पवन शर्मा

3. 12.31 बजे **ध्यानाकर्षण (नियम–54) :**
श्री जरनैल सिंह, माननीय सदस्य ने *''माननीय उप राज्यपाल द्वारा दिल्ली परिवहन निगम की बसों में तैनात मार्शलों को हटाये जाने''* के संबंध में सदन का ध्यान आकर्षित किया।
श्री दिलीप कुमार पांडे, माननीय मुख्य सचेतक ने सदन की अनुमति से संकल्प प्रस्तुत किया (संकल्प का पाठ संलग्न है)।
निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :
   1. श्री अजय दत्त
   2. श्री राजेश ऋषि
   3. श्रीमती प्रमिला धीरज टोकस
   4. श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी, माननीय नेता प्रतिपक्ष

श्री कैलाश गहलोत, माननीय परिवहन मंत्री ने भी अपने विचार व्यक्त किये।
श्री अरविंद केजरीवाल, माननीय मुख्यमंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।
संकल्प मतदान के लिए रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार हुआ।

4. 01.31 बजे **अध्यक्ष महोदय ने सदन शुक्रवार, दिनांक 01 मार्च, 2024 को पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित किया।**

दिल्ली
29 फरवरी, 2024

राज कुमार
सचिव

संकल्प

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा दिनांक 29 फरवरी, 2024 को आयोजित अपनी बैठक में संकल्प करती है कि :

दिल्ली के 02 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले इस महान् सदन के संज्ञान में यह रहा है कि किस प्रकार दशकों से महिलाएं डीटीसी की बसों में उत्पीड़न और बुरे बर्ताव का शिकार होती रहती थीं और इन बसों में सफर करने में सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं,

इसके दृष्टिगत, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2015 से दिल्ली परिवहन निगम की बसों में मार्शलों को तैनात करके महिलाओं के लिए यात्रा को सुरक्षित और सम्मानजनक बनाया, जिसके लिए यह सदन उनके प्रति आभार व्यक्त करता है,

मार्शलों की तैनाती होने से बसों में बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ होने वाली हिंसा, अपराध और अपनामजनक हरकतों पर रोक लगी,

दिल्ली परिवहन निगम और क्लस्टर बसों में तैनात किए गए इन 8000 से अधिक मार्शलों में से लगभग 4000 होम गार्ड, 3600 सिविल डिफेंस वालंटियर और 400 पूर्व सैनिक थे,

आश्चर्यजनक रूप से, जनवरी, 2023 से ही वित्त विभाग और राजस्व विभाग के अधिकारी सिविल डिफेंस वालंटियर्स की बसों में तैनाती पर आपत्ति जताने लगे, और

अप्रैल 2023 से, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री और वित्त मंत्री के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद इन सिविल डिफेंस वालंटियर्स के वेतन का भुगतान रोक दिया गया और परिवहन विभाग ने भी बस मार्शलों की तैनाती की जरूरत पर आपत्ति लगाना शुरू कर दिया,

जबकि, दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री, वित्त एवं राजस्व मंत्री ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिविल डिफेंस वालंटियर्स को बसों में बस मार्शल के रूप में तैनात करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे,

दिल्ली सरकार के दोनों मंत्रियों के निर्देशों के बावजूद राजस्व विभाग ने 01 नवंबर, 2023 को आदेश जारी कर बसों में तैनात सभी सिविल डिफेंस वालंटियर्स को हटा दिया,

माननीय उपराज्यपाल महोदय ने भी इन मार्शलों की बहाली को मंजूरी देने से मना कर दिया,

परिणामस्वरूप, बस मार्शल के रूप में काम करने वाले हजारों सिविल डिफेंस वालेंटियर्स अब बेरोजगार हो गए हैं, और

बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को एक बार फिर असुरक्षा और अपमान का सामना करना पड़ रहा है,

ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में यह सदन प्रस्ताव करता है किः

1. सिविल डिफेंस वालंटियर्स को बस मार्शल के रूप में दोबारा तैनात किया जाए,
2. दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को ध्यान में रखते हुए, माननीय उपराज्यपाल को इन बस मार्शलों की नियुक्ति की नीति को मंजूरी देनी चाहिए और संबंधित मंत्रियों के निर्देशों की अवेहलना करके बस मार्शलों को हटाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, और
3. यह सदन यह भी प्रस्ताव करता है कि राजस्व मंत्री एवं परिवहन मंत्री को माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके सिविल डिफेंस वालंटियर्स को बतौर बस मार्शल बहाल करने की मांग करनी चाहिए।

****